अनुदान संख्या 98 - वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4362,53,00	4362,58,00	3042,61,60	-1319,96,40
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1295,80,24
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	26,81,00	26,83,00	16,60,50	-10,22,50
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,22,43

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	4950.00			
पू.	S.	1.00	3897.25	3894.63	-2.62
पु.	R.	-1053.75			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	12151.00			
पू.	S.	2.00	..	..	..
पु.	R.	-12153.00			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्रामीण और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	169696.00			
पू.	S.	1.00	161052.42	160962.97	-89.45
पु.	R.	-8644.58			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	249456.00			
पू.	S.	1.00	141728.09	139404.00	-2324.09
पु.	R.	-107728.91			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹12154.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹11552.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत– निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थे:–

(I) Provision of ₹12154.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹11552.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "ग्रामीण और लघु उद्योग – हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹2152.00 लाख;

(A) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" - ₹2152.00 lakhs;

(खा) "ग्रामीण और लघु उद्योग – रेशम कीट पालन उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹3600.00 लाख (₹1.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(B) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - ₹3600.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(गा) "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना – जूट संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन – मिनी मिशन–II" – ₹5800.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों के पुनर्वियोग किए जाने और शेष धनराशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वस्त्र मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹1056.37 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4951.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "हथकरघा – उद्योग" –

(क) "हथकरघा उद्योग" – ₹704.67 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10346.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत – बचतें स्थापना संबंधित व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(ख) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्र क्षेत्र)" – ₹576.48 लाख की बचत (₹22110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों, उपयोगिता प्रमाण – पत्रों के प्राप्त नहीं होने और निधि प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण हुईं।

(खा) "हथकरघा उद्योग" –

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Technology Mission on Jute - Mini Mission - II" - ₹5800.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Textiles" - saving of ₹1056.37 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4951.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023); and

(III) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Handloom Industries" -

(a) "Handloom Development" - saving of ₹704.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10346.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2023).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(b) "National Handloom Development Programme (Center Sector)" - saving of ₹576.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22110.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals, utilisation certificates and implementation of revised procedure of fund flow.

(B) "Handicraft Industries" -

(क) "हथकरघा विकास आयुक्त" – ₹2344.74 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के साकेंतिक पूरक अनुदान सहित ₹11761.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) "Development Commissioner for Handicrafts"- saving of ₹2344.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11761.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2023) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(ख) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹5100.37 लाख की बचत (₹18431.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹5100.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18431.00 lakhs); and

(गा) "पावर लूम उद्योग – ऊनी वस्त्रों का विकास" – ₹1213.71 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2111.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Powerloom Industries - Development of Woolen Textiles" - saving of ₹1213.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2111.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2023).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals.

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹2508.38 लाख की बचत (₹5800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹2508.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5800.00 lakhs); and

(ख) "रेशमी वस्त्रों का विकास" – ₹1077.00 लाख की बचत (₹11800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Development of Silk Textiles" - saving of ₹1077.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वस्त्र" –

(क) "वस्त्र आयुक्त" – ₹799.69 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.42 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6316.42 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹2623.66 लाख की बचत (₹10400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना" – ₹32224.61 लाख की बचत (₹900000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के पूरा होने से नए यू. आई. डी. जारी नहीं किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के तहत कम मात्रा में खरीद किए जाने के कारण हुई।

(घ) "वस्त्र अवसंरचना और मेगा कलस्टर" – ₹15563.12 लाख की बचत (₹20154.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "अनुसंधान और विकास तथा संस्थागत विकास"– ₹33995.27 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.43 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹53102.43 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(च) "पी. एस. यू. को सहायता" – ₹550.00 लाख की बचत (₹22284.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(छ) "पी. एम. मित्र" – ₹19987.33 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Textiles" -

(a) "Textile Commissioner" - saving of ₹799.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6316.42 lakhs including token supplementary grant of ₹0.42 lakh obtained in December, 2023) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(b) "National Institute of Fashion Technology" - saving of ₹2623.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10400.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender for construction.

(c) "Amended Technology Upgradation Fund Scheme" - saving of ₹32224.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900000.00 lakhs) was due to non-issuance of fresh UID owing to completion of scheme and less procurement under Minimum Support Price operation.

(d) "Textile Infrastructure and Mega Clusters" - saving of ₹15563.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20154.00 lakhs);

(e) "Research and Development and Institutional Development" - saving of ₹33995.27 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹53102.43 lakhs including token supplementary grant of ₹0.43 lakh obtained in December, 2023);

(f) "Support to PSU" - saving of ₹550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22284.00 lakhs);

(g) "PM MITRA" - saving of ₹19987.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs); and

(खा) "अन्य–जूट" – ₹4094.47 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15430.15 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Others - Jute" - saving of ₹4094.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15430.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in December, 2023).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above five heads were due to receipt of less viable proposals.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹796.69 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत से 62 प्रतिशत थी।

(V) Under two heads saving of ₹796.69 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 32 percent and 62 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹3598.75 लाख) पुनर्वियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुई जैसा कि दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसंद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹3598.75 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head "2851" - under the following heads:-

(का) "रेशम कीट पालन उद्योग – केंद्रीय सिल्क बोर्ड" – ₹1043.75 लाख,

(A) "Sericulture Industries - Central Silk Board"- ₹1043.75 lakhs.

(खा) "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप – योजना – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹2555.00 लाख।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Grants towards Development of Silk Industry" - ₹2555.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2851" – "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्र)" – के अंतर्गत – अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹2453.29 लाख की अधिक व्यय (₹4450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" - "Tribal Area Sub-Plan - National Handloom Development Programme (Center Sector)" - excess of ₹2453.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4851”	Major head “4851”				
ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	2450.00			
पू.	S.	1.00	1559.40	1559.36	-0.04
पु.	R.	-891.60			

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹103.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹103.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) “हथकरघा उद्योग – हथकरघा उद्योग विकास आयुक्त” के अंतर्गत – ₹685.02 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2151.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण डब्ल्यू. एस. सी. कैंपस इम्फाल में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण को अंतिम रूप नहीं दिए जाने/पूरा नहीं होने के कारण हुई।

(II) Under “Handloom Industries - Development Commissioner for Handloom” - saving of ₹685.02 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2151.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalisation/ completion of construction of residential quarters in WSC Campus, Imphal owing to law and order situation.